[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 3rd October, 2013]

हरियाणा सरकार

खाद्य एवं पूर्ति विभाग

आदेश

दिनांक 3 अक्तूबर, 2013

संख्या एफ०जी०1-2013/30657.—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय-VI के अनुभाग 13(1) ''महिला सशक्तिकरण'' के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत परिवार की सबसे अधिक आयु की महिला, जो 18 वर्ष से कम आयु की न हो, को केवल राशन कार्ड में परिवार के मुखिया का दर्जा देते हुये मनोनीत किया जाता है।

तथापि, जिस परिवार में 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की महिला न हो, परन्तु परिवार में 18 वर्ष से कम आयु की महिला हो, तब परिवार के सबसे बड़े पुरूष सदस्य को राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड के मुखिया का दर्जा दिया जाएगा परन्तु महिला सदस्य के 18 वर्ष के होने पर वह पुरूष सदस्य के स्थान पर खाद्य सुरक्षा कार्ड में मुखिया होगी।

धनपत सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य एवं पूर्ति विभाग, चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक एफ.जी.1-2013/30658 दिनांक, चण्डीगढ़ : 3.10.2013

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार
3. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा सरकार
4. महाधिवक्ता, हरियाणा, चण्डीगढ़
5. महानिदेशक, भू-अभिलेख, हरियाणा, पंचकुला
6. निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा व्यापक प्रचार करने हेतु
7. सभी मण्डलायुक्त, हरियाणा राज्य में
8. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में
9. सभी अतिरिक्त उपायुक्त, हरियाणा राज्य में
10. सभी पुलिस अधीक्षक, हरियाणा राज्य में
11. सभी उप मण्डल अधिकारी (ना०), हरियाणा राज्य में
12. सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, हरियाणा राज्य में
13. सभी अधिकारीगण, मुख्यालय।

(हरता.). . .,
अतिरिक्त निदेशक,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य एवं पूर्ति विभाग, चण्डीगढ़।

51567—C.S.—H.G.P., Chd.